विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / रेफरेन्स असिस्टेंट एवं लाईब्रेरी रेस्टोरर / 2024 / 963 दिनांक : 27 / 04 / 2024

1.	परीक्षा का नाम	**राजस्थान उच्च न्यायालय में रेफरेन्स असिस्टेंट एवं लाईब्रेरी रेस्टोरर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2024**
2.	भर्ती प्रक्रिया के नियम	राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002] (As amended)
3.	पदनाम	**रेफरेन्स असिस्टेंट एवं लाईब्रेरी रेस्टोरर**
4.	परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन	चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रूपये **14,600**/-(fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे।
5.	परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन	पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-05 के अनुसार पे–स्केल रू. **20,800–65,900 / –**
6.	ऑनलॉईन आवेदन करने की प्रक्रिया	• ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा–निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं वेबसाईट को नियमित समयान्तराल पर देखते रहें। • ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध है। • आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और / या किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
7.	आवेदन करने की समय सीमा	29.04.2024 (सोमवार) को दोपहर 01.00 से दिनांक 18.05.2024 (शनिवार) को सायं 05.00 बजे तक।
	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	29.04.2024 (सोमवार) को दोपहर 01.00 से दिनांक 19.05.2024 (रविवार) को सायं 05.00 बजे तक।
	ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपर्युक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **<u>आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें।</u>** ई–मित्र कियोस्क / नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट–बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट / क्रेडिट	

27.04.2024

	कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।	
8.	**लिखित परीक्षा का स्थान एवं संभावित तिथि**	**राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा लिखित परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में **दिनांक 22.06.2024 (शनिवार)** को आयोजित किये जाने की संभावना है। आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य संभागीय/जिला मुख्यालयों पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने तथा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का अधिकार **राजस्थान उच्च न्यायालय** के पास सुरक्षित है।

9. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee):–**

सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अन्य राज्य के आवेदक	राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक	दिव्यांगजन/राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक
रूपये 750/–	**रूपये 600/–**	**रूपये 450/–**

नोट– परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। परन्तु यह कि, विज्ञापन निरस्त किए जाने का नोटिस जारी होने की तिथि से एक माह पश्चात् किए गए परीक्षा शुल्क की वापसी के दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

10. **रिक्त पदों का विस्तृत विवरण**

Name of Post	Total No. of Vacant Post	General	Reserved					Persons with Benchmark Disabilities
			EWS	SC	ST	OBC	MBC	
Reference Assistant	3	3	-	-	-	-	-	-
Library Restorer	31	14 [(4 Women, 1 Widow), 1 Ex-Ser.]	3	4 (1 Women)	3	6 (1 Women)	1	1 LD-CP

नोटः–

(i) उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(ii) सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करते समय, विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत से अनधिक, अतिरिक्त रिक्तियों के प्रोद्भूत होने पर, अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन भी किया जा सकेगा।

(iii) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त (suitable) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार आरक्षित सूची (Reserve List) भी तैयार की जा सकेगी।

11. **विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–**

i. **महिलाओं** (विधवा एवं विच्छिन्न–विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal against Categorywise vacancies) रूप से होगा।

ii. **भूतपूर्व सैनिकों** हेतु आरक्षित पद का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज (Horizontal against categorywise vacancies) रूप से होगा।

iii. **दिव्यांगजन** हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज** (Horizontal against total

27.04.2024

vacancies) रूप से होगा।

iv. क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में, जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जाएगा।

v. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित)/ भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जाएगा।

vi. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

vii. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्गो (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक, सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। उक्त श्रेणी के अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

viii. राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

12.

1. **<u>विभिन्न वर्गों (Various Categories) के प्रमाण–पत्र के सन्दर्भ में</u>** :–

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में राज्य की सेवाओं के लिए जारी किया गया वैध जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:– अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है। परन्तु उक्त तीन वर्ष की अवधि में, यदि अभ्यर्थी के क्रीमीलेयर में होने का कोई प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाता है तब शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को वैध नहीं माना जाएगा।

<u>अर्थात्</u> वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **18.05.2024** है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक **19.05.2023** से **18.05.2024** की समयावधि में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक **19.05.2021** से **18.05.2023** की समयावधि में क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र, एक बार जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर दिनांक **19.05.2021** से **18.05.2023** की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

ii. दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी

27.04.2024

किया गया वैध प्रमाण–पत्र (Income & Asset Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:– राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष के लिये किया जा सकता है।

<u>अर्थात्</u> वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **18.05.2024** है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक **01.04.2024 से 18.05.2024** की समयावधि में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक **01.04.2022 से 31.03.2024** की समयावधि में एक बार Income & Asset Certificate जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर दिनांक **01.04.2022 से 31.03.2024** की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

iv. भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा, यदि किन्हीं कारणों से ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र पेश करने पर कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को सम्बन्धित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद जारी प्रमाण–पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

v. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

vi. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

vii. विधवा महिला श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

viii. विच्छिन्न विवाह महिला (Divorced Woman) श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनाक तक ऐसे अभ्यर्थी का उसके पति से विवाह–विच्छेद (Divorce) हो जाने का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

ix. ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनाक तक विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन करने की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ दिया जाएगा। यदि आवेदक का विवाह विच्छेद सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नही हुई है तो विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ देय नही होगा।

x. विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने या विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में होने सम्बन्धी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. **<u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification)</u>**:–

Candidate must possess degrees of **Graduation** and **Bachelor of Library Science** from any university established by Law in India or equivalent examination from any university recognized by the Government.

27.04.2024

	Note:- Person who has appeared or is appearing in final year/final semester of requisite educational qaualification, shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before Written Examination and proof thereof has to be submitted to the office of Registrar (Examination), Rajasthan High Court, Jodhpur, within 07 days of holding of Written Examination.
14.	<u>शारीरिक उपयुक्तता **(Physical Fitness)**</u> :– आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
15.	<u>राष्ट्रीयता **(Nationality)**</u>:– सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :– (क) भारत का नागरिक हो (A citizen of India), या (ख) नेपाल का नागरिक हो (A citizen of Nepal), या (ग) भूटान का प्रजाजन हो (A subject of Bhutan) : परन्तुक– प्रवर्ग (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र दिया गया है।
16.	<u>आयु **(Age)**</u>:– A candidate for direct recruitment to the Service must have attained the age of **18 years** and must not have attained the age of **40 years**, on the first day of January next following **(01.01.2025)** the last date fixed for receipt of the application. PROVIDED that: i the upper age limit shall be relaxed by five years in the case of the member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class or More Backward Classes or Economically Weaker Sections or Women candidates. ii there shall be no age limit in the case of widow and divorcee women candidate. iii the upper age limit for the reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 50 years. iv the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner, who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules. v that in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before conviction and was eligible for appointment under the Rules. vi the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than 3 years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit. vii the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit, even though they have crossed the age limit, when they appear before the Commission, had they been eligible

27.04.2024

as such at the time of their joining the Commission in the Army.

viii the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit, had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit and shall be allowed up to two chances.

ix the upper age limit shall be relaxed by 15 years in case of the Ex-Servicemen. Provided that in case, permissible age after such relaxation of 15 years work out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable.

Note- the above relaxation in age will be admissible only in one category.

x the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of the Persons with Benchmark Disabilities. Such age relaxation shall be in addition to the age relaxation already provided to different categories in Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002.

17. <u>चरित्र **(Character)**</u> :–

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को:–

(i) एक सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र (Good Character Certificate), जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा एवं

(ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से सम्बन्धित ना हों एवं उसके सम्बन्धी ना हों।

18. <u>नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं **(Disqualifications for Appointment)**</u>:–

(1) No male or female candidate, who has more than one wife/husband living shall be eligible for appointment to the Service.

(2) No female candidate, who is married to a person having already a wife living, shall be eligible for appointment.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.

Note: - For the purpose of this rule dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961).

(4) No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children on/or after the date of commencement of Rules of 2002.

Provided that :

i The candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as number of children he/she has on the date of commencement of this rule does not increase.

ii Where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

iii While counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

iv Any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

v Above mentioned provisions shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women.

Explanation : For above purposes, child born within 280 days from the date of commencement of the Rules of 2002 shall not constitute disqualification.

नोट:– राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) का नियम 9A, (4) दिनांक 29.09.2005 को प्रवृत हुआ है।

27.04.2024

19. परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम **(Scheme & Syllabus of Examination)**:–

The scheme of examination shall be as under:-

(1) WRITTEN TEST –

The written Test shall consist of one paper of 200 marks comprising of:-

S.No.	Paper	Marks	Min Marks		Duration
			For SC/ST, PwBD & Ex-Servicemen candidates	For other candidates	
1	Part-I Library and Information Science	150	80	90	2 Hours
2	Part-II Basic Knowledge of Computer	50			

(2) लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि (Method of conducting Written Test):-

(i) There shall be Multiple Choice Questions (Objective type) carrying equal marks for each question.

(ii) There will be no negative marking.

(iii) The selection will be made on the basis of merit as per marks obtained in the Written Examination.

(3) Syllabus for Written Test shall be as under:-

PART-I LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

(150 Questions)

A. Foundation of Library and Information Science

a. Library as a Social Institution

- Social & Historical foundations of Library.
- Different types of libraries- Academic, Public, Special –their distinguishing features and functions.
- Role of U.G.C. for development of Academic libraries.

b. Normative Principles of Lib. & Inf. Science

- Five Laws of Library Science.
- Implications of five laws in Lib. & Inf. Science.
- Development of Libraries with special reference to India, Baroda Public Library system
- Library Co-operation Resource Sharing and Library Networking.

c. Laws relating to Libraries & Information.

- Library legislation need and essential features.
- Library legislation in India.
- Press and registration act & Delivery of Books act (Public Library).
- Copyright act, Intellectual Property rights.

d. Library and Information Profession.

- Attribution of profession.
- Librarianship as a profession.
- Professional ethics.
- Professional associations 7 their role.
- National & International Library Associations- FID, IFLA, LA, ILA, ALA, IASLIC etc.
- Professional education & research.

e. Promoters of Library & Information services.

- National level promoters- RRRLF.
- International level promoters- UNESCO

f. Public relations & Extension activities.

- Definition
- Facets and programs
- publicity & extension, outreach activities.
- Library path finders (Guides)
- Factors affecting Library development, Literacy, publishing, Book Trade.

B. Knowledge Organization, Information Processing & Retrieval.

1. Universe of Knowledge

- Structure and attributes.
- Modes of formation of subjects.

27.04.2024

- Different types of subjects.
- Universe of subjects as mapped in different schemes of classification.

2. **Bibliographic description**
   - Catalogue purpose, Structure and types physical forms including OPAC filling rules.
   - Normative Principles of cataloguing.
   - Overview of principles and practice in document description.
   - Current trends in Standardization, description and exchange.
   - Standard codes of cataloguing.
3. **Methods of Knowledge Organization**
   - General theory of Library Classification.
   - Normative principles of classification and their application.
   - Species of Library classification.
   - Standard Schemes of Classifications and their features, CC, DDC, UDC.
   - Notation: Need, Functions, Characteristics
   - Design and development of schemes of Library Classification, standard sub-division Index.
   - Trends in Library classification.
4. **Subject Classification**
   - Principles of Subject Classification.
   - Subject heading lists and their feature.

C. Management of Libraries & Information Centres/Institutions

1. **Management**
   - Concepts, definition and scope.
   - Management styles and approaches.
   - Management school of thought.
   - Functions and principles of Scientific Management.
2. **Human Resource Management.**
   - Organizational structure.
   - Delegation, Communication and Participation.
   - Job Description and Analysis, Job evaluation.
   - Inter-personal relation.
   - Recruitment procedures.
   - Motivation, group Dynamics.
   - Training and Development.
   - Disciplines and Grievances.
   - Performance Appraisal.
3. **Financial Management.**
   - Resources Mobilization.
   - Budgeting Techniques and Methods PPBS, Zero Based Budgeting etc.
   - Budgetary Control.
   - Cost effectiveness and Cost Benefit analysis.
   - Outsourcing.
4. **Reporting**
   - Types of reports, Annual report-compilation, Contents and style.
   - Library Statistics etc.
5. **System Analysis and Design**
   - Library as a system
   - Project Management PERT/COM
   - Decision Tables.
   - Performance Measurement, reengineering, Time and Motion Study.
   - SWOT (Strength Weakness Opportunities Threat)
   - DFD (Data Flow Diagram)
6. **Total Quality Management (TQM)**
   - Definition, Concept, Element
   - Quality Audit, LIS related standards.
   - Technology Management.
7. **Library House Keeping Operations.**
   - Different sections of Library & Information Centre and their functions.
   - Collection Development and Management Policies Procedures.
   - Book Ordering (Acquisition)
   - Technical Processing.

27.04.2024

- Serials Control, Circulation Control, Maintenance etc.
- Stock Verification- Policies and Procedures.
- Evaluation and Weeding.
- Archiving-conservation-Preservation.
- Restoration including Print, Non-Print and Electronic Materials.

8. Planning

- Concept, Definition, Need and Purpose, Types.
- Policies and Procedures, MBO
- Building and Space management in Libraries and Information Centers.
- Library Building, Interior & Exterior, Furniture, Equipment's Standards & Types.
- Risk Management, Contingency Management.
- Planning of related Infrastructure, Library Standards.

9. Management of change.

- Concept of change.
- Changes in Procedures, Methods, Tools and Techniques.
- Problems of Incorporating Change.
- Techniques of Managing Change.

D. Information Sources & Services

1. Reference and information sources.

- Documentary Sources of Information, Print, Non-Print including Electronic: Special features, Scope, types
- Nature, Characteristic, Utility and evaluation of different types of information sources: Physical formats, Authority, Content, Utility.
- Non-Documentary Information Sources.
- Reference Sources Categories, Primary, Secondary & Tertiary Information Sources. (Encyclopedia, dictionary, Periodical, Thesis, Books, Year book, Patents, Trade literature, standards, Monographs, Reference Books, Year Books, Almanac, Atlas, Abstracting & Indexing periodicals, Bibliographies, Handbooks, etc.)
- Internet as a Source of Information.

2. Reference Service.

- Concept, Definition, Need, Scope and trends.
- Reference Interview and Search Techniques.

3. Information services and Products.

- Information services and Products.
- Information services concepts, Definition, Need and trends.
- Need, Techniques and Evaluation of Alerting services (CAS & SDI)
- Bibliographic, Referral, Document Delivery and Translation Services.

4. Information System and their Services.

- Study of National, International and Commercial Information Systems and Services- Background, their Services and Products.

E. Library Users

1. Techniques of Library and Information Centres Survey.

- Proforma method.
- Interview method.
- Records and analysis method.

2. Information users and their information Needs.

- Categories of Information users.
- Information needs definition and models.
- Information seeking behavior.

3. User Education

- Goals and Objectives level, Techniques and Methods, Evaluation of Users Education Programmes.

4. User Studies.

- Methods and techniques of User studies.
- Evaluation of User studies.

5. User Orientation Programmes:

- Conventional and modern Techniques: Study tour, Newsletters, Handbooks, Leaflets, Power point Presentation, Websites etc.

F. Basic knowledge about books related to law and legal luminaries

27.04.2022

Part-II Basic Knowledge of Computer

(50 Questions)

i. Overview to Computer: Evolution of Computers & its applications
ii. Basics of Hardware and Software
iii. Latest IT gadgets and their applications
iv. Central Processing Unit
v. Input devices
vi. Output devices
vii. Computer Memory & storage
viii. Application Software
ix. Systems Software
x. Utility Software

Note :

The general suitability for service of the candidates securing equal aggregate marks in the Written Examination shall be determined having regard to age i.e. the candidate older in age shall be given higher place in merit.

20. **आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):–**

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी।**
2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।
5. आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपना नवीनतम फोटोग्राफ ही अपलोड करें। इसके अतिरिक्त आवेदक को ऐसा फोटोयुक्त पहचान–पत्र (वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में से कोई भी एक) भी अपलोड करना होगा जिस पर अंकित फोटोग्राफ, आवेदन–पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ तथा स्वयं आवेदक के सदृश हो तथा प्रत्येक परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय भी वही मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र साथ लेकर आना आवश्यक होगा।

21. **प्रवेश–पत्र (Admission Card) :–**

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश–पत्र अधिकृत वेबसाईट पर Upload किए जाएंगे तथा **डाक से कोई प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा।** परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र Upload किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने (i) **User Name** एवं (ii) **Password** एवं (iii) **Captcha Code** के आधार पर अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से **Download** कर सकेंगे।

22. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate):–**

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

27.04.2024

23. अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions):–

1. लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न–पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आपत्तियां, प्रति प्रश्न 200/– रूपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर, राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समयावधि में विहित रीति से भिजवाई जा सकेगी। एक बार भुगतान की गई शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली अथवा किसी अन्य माध्यम अथवा निर्धारित शुल्क राशि का भुगतान किए बिना प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।

2. **"राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006", के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम (Final Result) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।**

3. अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण–पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

4. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।

5. प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।

6. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा–कक्ष/परीक्षा–केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices), पर्स या कोई हथियार इत्यादि अपने साथ लेकर नहीं आये। ऐसी किसी वस्तु या अन्य किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ परीक्षा कक्ष/परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय की नहीं होगी।**

7. **परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुऐं, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है।**

8. **परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**

9. ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश–पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप

27.04.2024

	से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। 10. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड–बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही भविष्य में किया जाएगा। 11. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परिवीक्षा काल पर रखा जाएगा। 12. पेन्शन नियमानुसार देय होगी।
24.	**श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा**– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। इस संदर्भ में ऐसे दिव्यांगजन जो श्रुतलेखक की सुविधा चाहते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने की दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण–पत्र सहित रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा। अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए परीक्षार्थी को यह सुविधा देय नहीं होगी।
25.	**अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment of irregular or Improper Means)**:– कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जाएगा– (a) नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से, अथवा (b) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से
26.	**अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means)**:–परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।
27.	**संयाचना (Canvassing)**:–नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।
28.	**हैल्प लाईन (Help Line)** :– ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु **हैल्प लाईन (Help Line)** नम्बरों 0291–2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान (**During Office Hours**) सम्पर्क करें।
29.	**वेबसाईट (Website)**:– राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट : **www.hcraj.nic.in** नोट:– **उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई–मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।**

27.04.2024

रजिस्ट्रार (परीक्षा)